राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉं राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141–2711938, 2711978

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ 13714 दिनांकः 17/07/18

शुद्धिपत्र

विषय :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग में विभिन्न रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/राजकीय सेवा से सेवानिवृत श्रेणी के कार्मिकों से भरने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति में संशोधन बाबत्।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति क्रमांक एफ ( ) संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/13592–97 दिनांक 13.07.2018 के क्रम में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिकों से भरे जाने के संबंध में जारी की गई विज्ञप्ति में उल्लेखित तालिका के बिन्दु संख्या 06 पर ''महिला छात्रावास अधीक्षिका (वार्डन), पे–मैट्रिक्स लेवल 05'' के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास रागगढ़ (अलवर) एवं जोधपुर के लिए महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शेष आवश्यक शर्ते एवं योग्यताएं पूर्वानुसार यथावत् रहेगी।

(पंकज प्रभाकर)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
4. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।
5. सूचना बोर्ड, कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर
डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com
दूरभाष न.: 0141–2711938, 2711978

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ 13592 दिनांकः 13/7/2018

विज्ञप्ति

विषय :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग में विभिन्न रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/राजकीय सेवा से सेवानिवृत श्रेणी के कार्मिकों से भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के क्रम में।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिकों से भरे जाने है। रिक्त पदों की संख्या, पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट **www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। पात्र एवं इच्छुक कार्मिक निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2018 को सायं 05.00 बजे तक निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर (राज.) में पंजीकृत डाक अथवा बंद लिफाफे में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ 13593-96 दिनांकः 13/7/2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।
4. सूचना बोर्ड, कार्यालय हाजा।

(पंकज प्रभाकर)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com
दूरभाष न.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ 13597

दिनांकः 13/7/2018

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक मामलात विभाग में निम्न रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/राजकीय सेवा से सेवानिवृत श्रेणी से आपूरित करने एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पदों को आपूरित करने हेतु पैनल तैयार किया जाना हैं। अतः पात्र एवं इच्छुक कार्मिकों से निम्नांकित विवरणानुसार प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.स.	नाम पद	पे-मैट्रिक्स लेवल	रिक्त पद	निदेशालय/जिला स्तरीय	विशेष विवरण
1	सहायक निदेशक	लेवल-14	—	निदेशालय	अन्य अधीनस्थ कार्यालय एवं निदेशालय स्तर पर भविष्य में पद रिक्त होने की स्थिति में पात्रता के आधार पर चयन कर प्रतिक्षा सूची भी बनाई जावेगी जिसमें से संभावित रिक्त पदों पर संविदा पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी	लेवल-12	—	निदेशालय	
3	कार्यालय अधीक्षक	लेवल-11	1	निदेशालय	
4	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	लेवल-12	05	बारां, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही एवं जैसलमेर	
5	कार्यक्रम अधिकारी	लेवल-11	02	जालौर एवं सीकर	
	योग		08		

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान, जयपुर को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनियुक्ति हेतु दिनांक 27.07.2018 तक पंजीकृत डाक अथवा बन्द लिफाफे में व्यक्तिशः कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।

उपरोक्त रिक्त पदों को समान पे-मैट्रिक्स लेवल के पदों अथवा इससे उच्च पे-मैट्रिक्स लेवल के पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। नियमित कार्मिक अपना आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

आवश्यक शर्ते :-

1. प्रतिनियुक्त कर्मियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति नियम एवं शर्ते प्रभावी होगे।
2. चयनित अभ्यार्थी का प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत संविदा पुनर्नियुक्ति पर पदस्थापन प्रथमतयाः 06 माह के लिये किया जावेगा एवं कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्य अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
3. अभ्यार्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की जॉच कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए एवं अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं होने चाहिए। इसके लिए चयन होने पर चयनित अभ्यार्थियों को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. रिक्त पदों की संख्या घटाई/बढायी जा सकती है।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पे-मैट्रिक्स लेवल-12 या इससे उच्च लेवल के पद पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारी, जिन्हें राजपत्रित अधिकारी के पद पर 03 वर्ष का कार्यानुभव हो, आवेदन के पात्र होगें।
6. कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पे-मैट्रिक्स लेवल-11 या इससे उच्च लेवल के पद पर कार्यरत कार्मिक, जिन्हें प्रथम नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष का कार्यानुभव हो, आवेदन के पात्र होगें।
7. सेवानिवृत श्रेणी के अभ्यार्थी जिनकी आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं हो एवं इनको आवेदित पद की पे मैक्ट्रिस लेवल के समान पद अथवा इससे उच्च लेवल के पद पर तीन वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव हो, ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु विचार योग्य होगें।
8. सेवानिवृत श्रेणी के अभ्यार्थियों को संविदा पर समेकित पारिश्रमिक पर कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.02.2018 की शर्तो के आधार पर संविदा पुर्ननियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

कृ.प.ऊ.

9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 अनुसार "संबंधित सेवा संवर्ग के रिक्त पद के समान सेवा संवर्ग से सेवानिवृत कार्मिक ही पात्र है, अतः प्रथम प्राथमिकता इस शर्त की पूर्तिकर्ता अभ्यार्थी को प्रदान की जायेगी।" तथा "राजकीय सेवा से सेवानिवृत कार्मिको के अतिरिक्त अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं यथा बोर्ड, निगम, समिति एवं बैंक आदि से सेवानिवृत कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

10. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत श्रेणी के कर्मियों से प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा, जिसके लिए कोई भी अभ्यार्थी आपत्ति उत्पन्न नहीं कर सकेगा।

11. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृतकर्मी अभ्यार्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद एवं श्रेणी अर्थात प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।

12. दर्शाये गये रिक्त पद प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कर्मियों की पात्रतानुसार से भरे जा सकेगे। किसी श्रेणी विशेष के अभ्यार्थी से पद भरने की बाध्यता नही होगी।

13. प्रतिनियुक्ति सेवा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यार्थी को अपने विभाग के सक्षम स्तर से एनओसी प्राप्त कर संलग्न प्रस्तुत करनी होगी तथा सेवानिवृत श्रेणी के आवेदक अपनी सेवानिवृति पर पदस्थापन विभाग के विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र एवं एलपीसी, पीपीओं आदि दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करेगे।

14. उक्तानुसार सारिणी में दर्शाये रिक्त पदो के अतिरिक्त भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की संभावना में प्रतिनियुक्ति/संविदा पुनर्नियुक्ति के आधार पर पदस्थापन हेतु एक पैनल भी तैयार किया जावेगा, जिनमें से आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर पदस्थापन किया जा सकता है।

15. अभ्यार्थिओं को अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/13598-602 दिनांकः 13/7/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।
4. सूचना बोर्ड, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

(पंकज प्रभाकर)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक :– 8 FEB 2018

–:परिपत्र:–

विषयः–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.07.2017 के अधिक्रमण (Supersession) में वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :–

(1) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

3/2018

(2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

(3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(4) सेवानिवृत कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।

(6) सेवानिवृत कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न **परिशिष्ठ–'क'** के अनुसार होगी।

(7) सेवानिवृत कार्मिक की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिए जाने हेतु **परिशिष्ठ–'ख'** पर संलग्न प्रारूप के अनुसार आदेश जारी किये जावें।

(8) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(10) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

(11) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

(12) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो, तो कार्मिक/वित्त विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव **संलग्न निर्धारित प्रपत्र** में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101706395 दिनांक 11.01.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

8/2/18
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

8/2/18
संयुक्त शासन सचिव

03/2018

परिशिष्ट–'क'

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :–

क्रम सं.	वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में वेतन बैण्ड + ग्रेड पे/राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 20 ~ में पे लेवल	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1.	5200–20200+ग्रेड वेतन 1700/पे लेवल–1	6400/–
2	5200–20200+ग्रेड वेतन 1750/पे लेवल–2	6500/–
3	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900/पे लेवल–3	7000/–
4	5200–20200+ग्रेड वेतन 2000/पे लेवल–4	7400/–
5	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400/पे लेवल–5, 6, 7	9100/–
6	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800/पे लेवल–8–9	10400/–
7	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600/पे लेवल–10	12000/–
8	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200/पे लेवल–11	13400/–
9	9300–34800+ग्रेड वेतन 4800/पे लेवल–12	17400/–
10	9300–34800+ग्रेड वेतन 5400/पे लेवल–13	19500/–
11	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/पे लेवल–14	19500/–
12	15600–39100+ग्रेड वेतन 6000/पे लेवल–15	21000/–
13	15600–39100+ग्रेड वेतन 6600/पे लेवल–16	21900/–
14	15600–39100+ग्रेड वेतन 6800/पे लेवल–17	23200/–
15	15600–39100+ग्रेड वेतन 7200/पे लेवल–18	24600/–
16	15600–39100+ग्रेड वेतन 7600/पे लेवल–19	25400/–
17	15600–39100+ग्रेड वेतन 8200/पे लेवल–20	29000/–
18	37400–67000+ग्रेड वेतन 8700/पे लेवल–21	40100/–
19	37400–67000+ग्रेड वेतन 8900/पे लेवल–22	42300/–
20	37400–67000+ग्रेड वेतन 9500/पे लेवल–23	46600/–
21	37400–67000+ग्रेड वेतन 10000/पे लेवल–24	47600/–

नोट :–1. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड–पे/पे लेवल से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे/पे लेवल के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।

2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत कार्मिक को भी देय होगा।

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं...दिनांक................................में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुरः

दिनांकः

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व................................ पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती........... ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती........... ....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

ew

12/2014

8